भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6402

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

टोल दरों में वार्षिक वृद्धि

†6402. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समिति की टिप्पणियों के आलोक में वर्ष 2008 की आधार दरों के आधार पर टोल दरों में स्वत: वार्षिक वृद्धि की समीक्षा की है और तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के फार्मूले को तय किया है; और

(ख) टोल की आधार दरों और प्रयोक्ता शुल्क निर्धारण ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग के प्रस्तावित अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 को देश भर में प्रयोक्ता शुल्क की गणना के लिए एक समान पद्धति के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। वार्षिक संशोधन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जुड़ा हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा में समान रूप से लागू किया जाता है। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 5 के अनुसार, प्रयोक्ता शुल्क दरों को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से संशोधित किया जाता है। जिसमें 2007-08 की आधार दर पर आधार वर्ष के सूचकांक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में हुई वृद्धि का 40% को जोड़ते हुए मुद्रास्फीति कारक का भी नियतन किया जाता है, साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज के बिना 3% की निश्चित वार्षिक वृद्धि भी शामिल होती है।

(ख) नीति आयोग सक्रिय रूप से प्रयोक्ता शुल्क अवसंरचना का अध्ययन करने में लगा हुआ है, जिसमें आधार दरों और प्रयोक्ता शुल्क के संशोधन की पद्धति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं और यह अध्ययन अभी तक अधूरा है।
